परिपत्र संख्याः–डीजी– 45 /2016

जावीद अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः जुलाई 21 ,2016

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि इस मुख्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रतिदिन बडी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी–अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। इन शिकायतों में काफी संख्या में शिकायतें विवेचना में निष्पक्ष एवं समुचित कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में आती हैं। इस प्रकार के अनेकों मामलों में इस मुख्यालय स्तर से जांच करायी जाती है। जांचों के विश्लेषण से विवेचनाओं में निम्नलिखित गम्भीर कमियां परिलक्षित हो रही हैं:–

1. यह पाया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि वादी द्वारा किसी को नामज़द किया गया है, तो अधिकांश विवेचकों द्वारा गवाहों के बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किये जा रहे हैं। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटनास्थल की परिस्थितियों में तथा घटनास्थल पर प्राप्त जानकारी में कोई विरोधाभास है तो उस विरोधाभास को नजरअंदाज किया जा रहा है। उस विरोधाभास के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ/जानकारी नही की जा रही है और विरोधाभास को नजरअदांज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि की जा रही है।

2. घटनास्थल पर पाये गये भौतिक साक्ष्यों के परीक्षण में देरी की जा रही है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के घटनाकम और भौतिक साक्ष्यों के मध्य तालमेल तथा विरोधाभास के सम्बन्ध में छानबीन नही की जा रही है। कई बार यह भी पाया जा रहा है कि भौतिक साक्ष्यों को परीक्षण के लिए जान–बूझकर नही भेजा जा रहा है ताकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के घटनाकम की पुष्टि करने में विवेचक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

3. घटनास्थल पर उपलब्ध निष्पक्ष चश्मदीद साक्ष्यों से जानकारी करने में एवं उनके बयान अंकित करने से परहेज किया जा रहा है एवं वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये गवाहों पर अंधविश्वास करके विवेचना की जा रही है। यह भी नही देखा जा रहा है कि वादी द्वार उपलब्ध कराये गये गवाह घटनास्थल पर वास्तव में थे भी या नही। ऐसे प्रकरणों में जब शिकायत की जांच करवायी जाती है तो कई बार सी0डी0आर0 के अवलोकन व अन्य साक्ष्यों से पाया जा रहा है कि ऐसे गवाह घटनास्थल से बहुत दूर थे। ऐसी परिस्थिति में उन गवाहों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है एवं विवेचना कमजोर हो जाती है।

4. इसी प्रकार किसी अभियुक्त द्वारा अपने घटनास्थल पर न होने के सम्बंध में यदि कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है तो उसका परीक्षण न कर उसे नजरअंदाज कर दिया जा रहा है।

5. वादी मुकदमा से प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी के सम्बन्ध में कोई सवाल नही किया जा रहा है एवं न ही वादी के साथ थाने पर आये आगन्तुकों की जी0डी0 में आमद की जा रही है।

6. कई बार सबसे पहले घटनास्थल पर पुलिस पहुँचती है तथा प्रारम्भिक जानकारी मौके पर पहुँचने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा एकत्र की जाती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विवेचकों द्वारा घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों के बयान लिपिबद्ध नहीं किये जा रहे हैं। यदि वादी द्वारा वास्तविक घटनाक्रम से हटकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है तो इन पुलिस कर्मियों का बयान दर्ज कराना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

7. मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजदगी के आधार पर एवं मौखिक बयानों के आधार पर विवेचनाओं में कार्यवाही की जा रही है। विवादित एवं गम्भीर प्रकरणों में विवेचना की गहराई में जाने से विवेचक बच रहे हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट को Ditto करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं जिस कारण से काफी निर्दोष व्यक्ति आरोपित हो रहे हैं जो उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायत करते हैं। ऐसे प्रकरणों में जांच करने से पाया जाता है कि विवेचक द्वारा मात्र खाना–पूर्ति की गयी है। ऐसे प्रकरणों में मुख्यालय स्तर से कठोर रूख अपनाने पर विवश होना पडता है।

8. यद्यपि मात्र सी0डी0आर0 के आधार पर कार्यवाही करना कदाचित उचित नही होगा। परन्तु परिस्थितियों की पुष्टि करने में एवं गवाहों/मुल्ज़िमों की घटनास्थल पर उपस्थिति–अनुपस्थिति की पुष्टि करने में सी0डी0आर0 कई बार सहायक सिद्ध होती हैं। इसका विवेकपूर्ण एवं निष्पक्ष इस्तेमाल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. कई प्रकरणों में पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किये बिना ही नामज़द गिरफ्तार कर लिये जाते हैं अथवा न्यायालय से सम्मन/वारण्ट जारी करवा लिये जाते हैं, जो कि उचित नही है। पर्याप्त पुष्टिकारक साक्ष्य एकत्र करने के उपरान्त ही आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। पर्यवेक्षण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विवेचना में pre-mature गिरफ्तारी न की जाए।

10. थाना प्रभारियों द्वारा विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं की नियमित समीक्षा नही की जा रही है। अभियोग दैनिकी को थाना प्रभारियों द्वारा अग्रसारित नही किया जा रहा है। कई मामलों में यह पाया गया है कि अभियोग दैनिकी नियमित रूप से थाने के अलग–अलग उप–निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित की गयी है।

11. घटनास्थल,मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों में विरोधाभास की स्थिति में वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विशेषज्ञ की राय भी नही ली जा रही है। विवादित प्रकरणों में Crime scene Recreation की कार्यवाही नही की जा रही एवं अपुष्ट साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

12. गम्भीर प्रकरणों की विवेचना योग्य एवं अनुभवी विवेचकों को ही आवंटित किया जाना आवश्यक है। कई बार यह पाया गया है कि इस दिशा–निर्देश का उल्लघन कर अनुभवहीन विवेचकों को अतिगंभीर विवेचनाएं आवंटित की जा रही हैं।

13. यह भी पाया जा रहा है कि अज्ञात में दर्ज प्रकरणों में मुल्जिम के गिरफ्तार होने पर अथवा माल की बरामदगी होने पर शिनाख्त परेड विवेचकों द्वारा नही करायी जा रही है। विवेचना के हित में उचित होगा कि यथाआवश्यक शिनाख्त परेड की प्रकिया का पालन किया जाये।

14. किसी भी वाद में आरोप पत्र/फाइनल रिपोर्ट न्यायालय भेजने से पूर्व सम्बंधित अभियोजक से उसका परीक्षण कराने के उपरान्त ही भिजवायी जाये। क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि इस सम्बंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवायें।

सामान्यतः यह माना जाता है कि वादी का हित सर्वोपरि है। परन्तु जहां वादी द्वारा तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश किया जा रहा हो अथवा निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जा रहा हो, ऐसे प्रकरणों में निष्पक्ष एवं गहन जांच की आवश्यकता होती है जिसके लिए विवेचक को मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही न करके प्रथम सूचना रिपोर्ट का निष्पक्ष परीक्षण करने के उपरान्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यवाही करनी चाहिए। बिना गहन जांच किये प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवेचना में येन–केन–प्रकारेण समर्थन करने से पुलिस की विश्वसनीयता घट रही है तथा पीडित व्यक्ति न्यायालय अथवा अन्य जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं जिससे विभाग का कार्य बढ़ता है एवं अनावश्यक जांचें प्रचलित होती हैं।

अतः विवेचकों एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवेचना के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें ताकि विवेचनाओं के संबंध में कम से कम विवाद हो एवं विभाग की साख बनी रहे। सभी पुलिस अधीक्षक काइम मीटिंग व अन्य माध्यम से सभी अधीनस्थों को इस सम्बंध में जागरूक करना सुनिश्चित करें एवं सभी विवेचकों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करायें।

भवदीय,

21.7

(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।